

२२/५

पत्रावली सेवा हुई। न्यायालय समय में  
ब्या-ब्या आवाने लगातार गरी परन्तु  
वादी व उर्गे अभिवृत्ता बोर्ड उपस्थित  
नही हुए। अतः इसके सिद्ध लिखा जा  
प्रकरण अदम पेंची / अदम हाजरी में  
श्वारीज दिया जाता है। पत्रावली केवल  
शुभान ही कर गन्ध से कम है।  
निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया गया।



~~No.~~

सहायक कलेक्टर  
(एस डी ओ.) कुम्भलग  
जिला-राजसमन्द

